

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 220/2019

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2019/01179

दायर दिनांक :- 19.11.2019

निर्णय दिनांक :- 04.04.2025

1. पेमाराम पुत्र मेगाराम जाति बेलदार निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. दुर्गाराम पुत्र मेगाराम जाति बेलदार निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी

-वादी

बनाम

1. नारायणराम पुत्र मेगाराम जाति बेलदार निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. पुखराज पुत्र खुमाराम जाति बेलदार निवासी कालीबेरी जोधपुर तह. व जिला जोधपुर
3. गिस्धारीराम पुत्र खुमाराम जाति बेलदार निवासी कालीबेरी जोधपुर तह. व जिला जोधपुर
4. देवाराम पुत्र खुमाराम जाति बेलदार निवासी कालीबेरी जोधपुर तह. व जिला जोधपुर
5. देवीसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
6. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
7. शाखा प्रबन्धक एस. बी. आई. शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

- उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 524/1 रकबा 317-06 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह

वाम (फलोदी)

की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 524/1 रकबा 317-06 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 524/1 रकबा 51.3626 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	अमानाराम 1/3 माणकराम 1/3 लीलाधर 1/3 पि. पेमाराम जाति बेलदार सा. देह खातेदार। रहन एस.बी.आई का.सिड अमानाराम व लीलाधर का हिस्सा	कानसिंह की सिड	524/1	17.1209 हैक्टेयर	बी-4
2	नारायणराम पुत्र मेगाराम जाति बेलदार सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा का.सिड	कानसिंह की सिड	524/1	13.0444 हैक्टेयर	बी-4
3	दुर्गाराम पुत्र मेगाराम जाति बेलदार सा. देह खातेदार	कानसिंह की सिड	524/1	12.2292 हैक्टेयर	बी-4
4	देवीसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कानसिंह की सिड	524/1	4.0764 हैक्टेयर	बी-4
5	दिनेशकुमार पुत्र भंवरलाल जाति विश्णोई सा. सुरपुरा खातेदार	कानसिंह की सिड	524/1	3.2611 हैक्टेयर	बी-4
6	दुर्गसिंह पुत्र मेगसिंह जाति राजपूत सा. लालसर फतेहगढ़ तह. देचू जिला जोधपुर खातेदार	कानसिंह की सिड	524/1	1.6306 हैक्टेयर	बी-4

आ. प्र. 1/2020
बाप (फलादी)

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



04/4/25
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाबा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. पेमाराम पुत्र मेगाराम जाति बेलदार निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. दुर्गाराम पुत्र मेगाराम जाति बेलदार निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी

-वादी

बनाम

1. नारायणराम पुत्र मेगाराम जाति बेलदार निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
2. पुखराज पुत्र खुमाराम जाति बेलदार निवासी कालीबेरी जोधपुर तह. व जिला जोधपुर
3. गिरधारीराम पुत्र खुमाराम जाति बेलदार निवासी कालीबेरी जोधपुर तह. व जिला जोधपुर
4. देवाराम पुत्र खुमाराम जाति बेलदार निवासी कालीबेरी जोधपुर तह. व जिला जोधपुर
5. देवीसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप जिला फलोदी
6. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
7. शाखा प्रबन्धक एस. बी. आई. शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 220/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व राजस्व ग्राम ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 524/1 रकबा 51.3626 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	अमानाराम 1/3 माणकराम 1/3 लीलाधर 1/3 पि. पेमाराम जाति बेलदार सा. देह खातेदार। रहन एस.बी.आई का.सिड अमानाराम व लीलाधर का हिस्सा	कानसिंह की सिड	524/1	17.1209 हैक्टेयर	बी-4
2	नारायणराम पुत्र मेगाराम जाति बेलदार सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा का.सिड	कानसिंह की सिड	524/1	13.0444 हैक्टेयर	बी-4
3	दुर्गाराम पुत्र मेगाराम जाति बेलदार सा. देह खातेदार	कानसिंह की सिड	524/1	12.2292 हैक्टेयर	बी-4
4	देवीसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	कानसिंह की सिड	524/1	4.0764 हैक्टेयर	बी-4
5	दिनेशकुमार पुत्र भंवरलाल जाति विश्णोई सा. सुरपुरा खातेदार	कानसिंह की सिड	524/1	3.2611 हैक्टेयर	बी-4
6	दुर्गसिंह पुत्र मेगसिंह जाति राजपूत सा. लालसर फतेहगढ़ तह. देचू जिला जोधपुर खातेदार	कानसिंह की सिड	524/1	1.6306 हैक्टेयर	बी-4

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना
आज की तारीख वसूल याबी तक वसूल याबी तक फीस सदी सालाना
करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.04.2025 को जारी की गई।



सहायक सहायक (मुख्य) पिण्डेल R.A.S.
बाप (फलोदी) सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।